

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

आदेश

झारखण्ड में क्रियाशील ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनमें 100 या इससे अधिक कामगार नियोजित होते हों, को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3 के तहत प्रावधानित Works Committee का गठन कर इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर जिला के श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया जाता है जो अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-2 में प्रदत्त कार्यों का सम्पादन करेंगे।

यह समिति औद्योगिक विवाद (झारखण्ड) नियमावली, 1961 के भाग-IV में उद्धृत प्रावधानों के अनुसार गठित एवं संचालित होगी।

ह०/-

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/श्रमांका० (औ० वि०)03/2023

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक-

ह०/-

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 02/श्रमांका० (औ० वि०)03/2023

प्रतिलिपि :- श्रमायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर श्रमायुक्त/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, धनबाद/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित)/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक-

ह०/-

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 02/श्रमांका० (औ० वि०)03/2023

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक-

ह०/-

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 02/श्रमांका० (औ० वि०)03/2023 श्र०नि० - 703

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक- 13.04.2023

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।